संख्या-64/2016-1932 ई-2/तेरह-2016-44/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 अक्टूबर,2016

विषय:-श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को 55 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 165 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज पर आधारित आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-09/दो-प्रा0डी0-166, दिनांक 04 मई,2016, पत्र संख्या-जी-21/दो-प्रा0डी0-166, दिनांक 23 मई,2016, पत्र संख्या-जी-64/दो-प्रा0डी0-166, दिनांक 21 अगस्त,2016 तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14-6-2016 के कार्यवृत्त संख्या-1524 ई-2/तेरह-2016-44/2016, दिनांक 28 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14-6-2016 से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक 28 जून,2016 में की गई संस्तुति के आधार पर श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को 55 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 165 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज पर आधारित आसवनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन तथा तद्नुसार वांछित बाटलिंग अनुज्ञापन स्वीकृत करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) अनुज्ञापन देने से पूर्व सम्बन्धित इकाई/आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ले ली जायेगी कि वह अपने बकाया राजस्व/अवशेष देयों का प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 07-12-2015 के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे, जो औद्योगिक विकास विभाग के रूग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबन्ध) अधिनियम,1985 के तहत मा0 बी0आई0एफ0आर0 संदर्भित प्रकरणों विषयक राज्य सरकार की नीति विषयक शासनादेश संख्या-1701/77-1-2015-10(बीआईएफआर)/09टीसी, दिनांक 07-12-2015 में दी गई व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षतामें गठित समिति के निर्णय के अधीन अन्तिम रूप से अनुमन्य/मान्य होगा।

(2) प्रश्नगत इकाई द्वारा रूग्ण इकाईयों को एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं/रियायतों को दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1701/77-1-2015-10(बीआईएफआर)/09टीसी, दिनांक 07-12-2015 में किये गये संगत प्राविधानोंका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न अन्य नियमों/अधिनियमों व स्थानीय विधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।